तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट मु.सं. 04/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
02.02.2024	पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल कसनाराम पुत्र मानाजी, जाति– रेबारी, निवासी– साजाफली, लोटाणा, पुलिस थाना सरुपगंज, जिला– सिरोही के अधिवक्ता उपस्थित। गैरसायल अनुपस्थित। गैरसायल के अधिवक्ता द्वारा गैरसायल की ओर से जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में सहायक अभियोजन अधिकारी व गैरसायल के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों ध्यान आकर्षित करते हुए गैरसालय को सिरोही जिले से छः माह की अवधि के लिये निष्कासित करने का अनुरोध किया। जबकि गैरसायल ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल वर्तमान में मजदूरी करके जीवन यापन कर रहा है। वह अब किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य में संलिप्त नही है। गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 23.5.2016 के बाद कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है। गैरसायल ने कभी भी शांति भंग नही की है, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही को ड्रॉप किया जावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल कसनाराम पुत्र मानाजी, जाति– रेबारी, निवासी– साजाफली, लोटाणा के विरुद्ध पुलिस थाना सरुपगंज में आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत अपराध संख्या 96 दिनांक 15.5.2013, 189/10.10.2023, 29/04.2.2015, 222 दिनांक 17.9.2015 व 118 दिनांक 23.5.2016 को दर्ज हुए। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त अपराधों में बाद अनुसंधान संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनमें गैरसायल को संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध टहराया गया है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त पांचों अपराधों में से अपराध संख्या 222 दिनांक 17.9.2015 व 118 दिनांक 23.5.2016 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं इनमें गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप पत्रों की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त अपराध संख्या 222 दिनांक 17.9.2015 व 118 दिनांक 23.5.2016 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय क्रमशः 11.2.2016 व 30.5.2017 की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इन दोनों अपराधों में गैरसायल को दोषसिद्ध ठहराया गया है। इससे स्पष्ट है कि कि गैरसायल राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(III) में वर्णित अपराध करने का दोषी है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि दिनांक 17.5.2021 के बाद गैरसायल के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है एवं न ही ऐसी कोई साक्ष्य न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। पत्रावली पर ऐसी भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह साबित होता हो कि [illegible] में कोई भय व्याप्त है। गैरसायल के विरुद्ध सार्वजनिक [illegible] दंगा या शांति भंग करने, बलवा करने, आम [illegible] व लडकीयों से छेडछाड या अशिष्ट [illegible]त्मक कार्यो या ब[illegible]र्शन [illegible]तार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 17:12:17 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट मु.सं. 04/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

द्वारा विधि पालक लोगों को अभिजासित करने के संबंध में कोई साक्ष्य न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में, हमारे विनम्र अभिमत में पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अर्न्तगत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 विरुद्ध गैरसायल साबित नही होने से खारिज किया जाना उचित एवं विधि सम्मत प्रतीत हेाता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत इस्तगासा अर्न्तगत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 विरुद्ध गैरसायल साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 02 फरवरी, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 17:12:17 IST
Reason: SelfAttested